पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)

कमांक /11113/ अका. / विद्यापरिषद / 2013 रायपुर, दिनांक 06 जुलाई, 2013

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की बैठक शुक्रवार, दिनांक 28.06.2013 को सायं 4.00 बजे विज्ञान भवन सर सी.वी.रमन हॉल में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :

1. डॉ.एस.के.पाण्डेय,	कुलपति	–	अध्यक्ष
2. डॉ. व्यास नारायण दुबे		–	सदस्य
3. डॉ. बी.के. शर्मा		–	सदस्य
4. डॉ. ए.के. गुप्ता		–	सदस्य
5. डॉ. संतोष कुमार शर्मा		–	सदस्य
6. डॉ. रीता वेणुगोपाल		–	सदस्य
7. डॉ. आर.पी. दास		–	सदस्य
8. डॉ. विभूति राय		–	सदस्य
9. डॉ. तोयनिधि वैष्णव		–	सदस्य
10. डॉ. सुपर्ण सेनगुप्ता		–	सदस्य
11. डॉ. अब्दुल करीम		–	सदस्य
12. डॉ. व्यास दुबे		–	सदस्य
13. डॉ. एम.डबल्यू वाय खान		–	सदस्य
14. डॉ. संजय कुमार		–	सदस्य
15. डॉ. अमर कान्त पाण्डेय		–	सदस्य
16. डॉ. दिनेश नंदिनी परिहार		–	सदस्य
17. डॉ. अनुसुईया बघेल		–	सदस्य
18. डॉ. एस.के. जाधव		–	सदस्य
19. डॉ. ए.के. पति		–	सदस्य
20. डॉ. मोयना चक्रवर्ती		–	सदस्य
21. डॉ. अनिता महेश्वर		–	सदस्य
22. डॉ. बशीर हसन		–	सदस्य
23. डॉ. प्रमोद कुमार शर्मा		–	सदस्य
24. डॉ. रोहिणी प्रसाद		–	सदस्य
25. डॉ. बी.जी. सिंह		–	सदस्य
26. डॉ. मिताश्री मित्रा		–	सदस्य
27. डॉ. अरूणा पल्टा		–	सदस्य
28. डॉ. एम.पी. गुप्ता		–	सदस्य
29. डॉ. राजेश पाण्डेय		–	सदस्य
30. डॉ. बी.एस. चौहान		–	सदस्य
31. श्रीमती प्रतिभा छाया क्लाडियस		–	सदस्य
32. श्री के.के.चन्द्राकर,	कुलसचिव	–	सचिव

(7)

कार्यवृत्त :

विषय कमांक–1

विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 08.12.2012 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना।

निर्णय :

विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 08.12.2012 के कार्यवृत्त को निम्नलिखित संशोधन के साथ सम्पुष्टि की गई :

विषय कमांक 2 बिंदु कमांक 1 के निर्णय को निम्नानुसार पढ़ा जावे –"भूगोल विषय को विज्ञान संकाय में शामिल करने संबंधी निर्णय पर संबंधित परिनियम में संशोधन की कार्यवाही किया जावे।"

विषय कमांक–2

विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 08.12.2012 के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

निर्णय :

विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 08.12.2012 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई।

विषय कमांक–3

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 13.12.2012, 23.01.2013, 18.02.2013, 27.02.2013, 17.04.2013, 15.05.2013 एवं 30.05.2013 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करना।

निर्णय :

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 13.12.2012, 23.01.2013, 18.02.2013, 27.02.2013, 17.04.2013, 15.05.2013 एवं 30.05.2013 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

विषय कमांक–4

डॉ. राधाबाई शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, रायपुर में एम.ए. गृहविज्ञान प्रारंभ करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार करना।

निर्णय :

डॉ. राधाबाई शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, रायपुर में एम.ए. गृहविज्ञान प्रारंभ करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक–5

विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में एम.ए. रूरल प्लानिंग एंड डेव्हलपमेंट तथा एम.ए. छत्तीसगढ़ी पाठ्यक्रम प्रारंभ करने पर विचार करना।

निर्णय :

विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में एम.ए. रूरल प्लानिंग एंड डेव्हलपमेंट तथा एम.ए. छत्तीसगढ़ी पाठ्यक्रम प्रारंभ करने संबंधी प्रस्ताव का मान्य किया गया।

विषय क्रमांक–6

शोध संबंधी अध्यादेश क्रमांक 45 एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम से संबंधित अध्यादेश क्रमांक 170 में आवश्यक संशोधन के संबंध में विचार करना।

निर्णय :

अध्यादेश क्रमांक 45 एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम से संबंधित अध्यादेश के कियान्वयन में हो रही असुविधा एवं संशोधन हेतु औचित्य सहित सुझाव संबंधित विभागाध्यक्षों से प्राप्त कर संकायाध्यक्षों की समिति में प्रस्तुत किया जावे तथा समिति के अभिमत एवं उनके द्वारा प्राप्त संशोधन सक्षम निकायों के अनुमोदन के पश्चात् समन्वय समिति को भेजी जावे।

विषय क्रमांक–7

विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में बेसिक साइंस में स्नातक पाठ्यक्रम प्रारंभ करने पर विचार करना।

निर्णय :

विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में बेसिक साइंस में स्नातक पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु विस्तृत प्रस्ताव छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग को भेजी जावे।

विषय क्रमांक–8

टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेस से National University Student Skill Development Programme (NUSSD) के संदर्भ में प्राप्त पत्र दिनांक 06.06.2013 पर विचार करना।

निर्णय :

टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेस से National University Student Skill Development Programme (NUSSD) के संदर्भ में प्राप्त पत्र दिनांक 06.06.2013 पर सिद्धांततः सहमति प्रदान की गई तथा निर्णय लिया गया कि नियमानुसार आगामी कार्यवाही किया जावे।

विषय क्रमांक–9

छत्तीसगढ़ राज्य में लोक स्वास्थ्य प्रबंधकीय संबंधी पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने के संबंध में विचार करना।

(9)

निर्णय :

छत्तीसगढ़ राज्य में लोक स्वास्थ्य प्रबंधकीय संबंधी पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के संबंध में लोक स्वास्थ्य, अस्पताल प्रशासन, सूक्ष्म विज्ञान एवं जीव सांख्यिकीय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने संबंधी प्रस्ताव पर सिद्धांततः सहमति प्रदान की गई तथा पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के संबंध में नियमानुसार आगामी कार्यवाही किया जावे।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय :

1. Clininnovation गांधीनगर, जगदलपुर एवं जैविकी अध्ययनशाला पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के बीच MoU के संबंध में विचार करना।

निर्णयः Clinical Research, Clinical Data Management & Pharmacovigilance में सर्टीफिकेट कोर्स प्रारंभ करने के संबंध में CLININNOVATION #27, Gandhi Nagar, Jagdalpur एवं पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के बीच MoU करने संबंधी प्रस्ताव पर सिद्धांततः सहमति प्रदान की गई।

2. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 22.06.2013 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय : सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया ।

3. डॉ. बी.जी.सिंह द्वारा प्रस्तुत बी.एस–सी. के पश्चात् स्नातकोत्तर मनोविज्ञान में प्रवेश प्राप्त छात्रों को एम.ए. के स्थान पर एम.एस–सी. की उपाधि प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव पर सिद्धांततः सहमति प्रदान की गई। विचार–विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि विज्ञान संकाय एवं सामाजिक विज्ञान संकाय की संयुक्त बैठक में इस पर विचार किया जाकर निर्णय लिया जाना उचित होगा।

4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा आयोजित NET एवं CSIR परीक्षा के पाठ्यक्रम एवं प्रश्नपत्रों के पैटर्न के अनुसार में विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के सिलेबस एवं प्रश्नपत्रों के पैटर्न में परिवर्तन किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गई। इसके साथ–साथ प्रश्नों के उत्तर निर्धारित शब्दों में देने के साथ उत्तरपुस्तिका के पृष्ठ निर्धारित करना आवश्यक है, ताकि भविष्य में उत्तरपुस्तिका का स्केनिंग कर परीक्षकों से ऑनलाइन मूल्यांकन कराया जा सके एवं आवश्यकतानुसार उत्तरपुस्तिका संबंधित विद्यार्थियों को भी उपलब्ध कराया जा सके। प्रत्येक अध्ययन मंडल उक्त बिंदु पर विचार कर पाठ्यक्रम को अद्यतन करेंगे एवं तद्नुसार संकाय के माध्यम से समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया गया :

1. डॉ. ए.के.पति, प्रोफेसर, जैविकी अध्ययनशाला — समन्वयक
2. डॉ. आर.पी. दास, प्रोफेसर, प्रबंधन संस्थान
3. डॉ. बी.जी. सिंह, प्रोफेसर, मनोविज्ञान अध्ययनशाला
4. डॉ. मिताश्री मित्रा, प्रोफेसर, मानवविज्ञान अध्ययनशाला
5. डॉ. रीता वेणुगोपाल, प्रोफेसर, शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला

5. डॉ. बी.के. शर्मा द्वारा सभी सदस्यों के जानकारी में लाया गया कि बी.ई. के बाद बहुत अधिक छात्र एम.एस–सी. गणित में प्रवेश हेतु आवेदन करते हैं अथवा आवेदन करने के इच्छुक होते हैं तथा अध्यादेश में प्रावधान नहीं होने के कारण उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाता है। प्रकरण पर विचार करते हुए बी.ई. के बाद एम. एस–सी. गणित में प्रवेश के संबंध में प्रकरण संबंधित बोर्ड एवं फैकल्टी में विचार करने हेतु सहमति दी गई।

6. डॉ. बी.के. शर्मा द्वारा सभी सदस्यों के जानकारी में लाया गया कि स्नातक स्तर में पर्यावरण विषय को तीन वर्षो में उत्तीर्ण करने के विकल्प के कारण परीक्षा आवेदन में सम्मिलित होने का जिक्र करने के बाद भी परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा में सम्मिलित नही होते जिससे परीक्षा परिणाम घोषित करने में असुविधा होती है। पर्यावरण उत्तीर्ण होने के पश्चात् ही उपाधि प्रदान किया जाना है, जिस पर सतत् निगरानी रखना कठिन होता है। इसी के साथ–साथ पर्यावरण विषय के लिए निर्धारित प्रोजेक्ट के लिए भी छात्र गंभीर नहीं होते है, अतः इस संबंध में विचार करना आवश्यक है।

प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से सहमति प्रदान करते हुए निर्णय लिया गया कि पर्यावरण विषय तीन–वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में से किसी एक वर्ष में उत्तीर्ण करना निर्धारित किया जावे, तथा प्रोजेक्ट के विकल्प के बारे में संबंधित अध्ययनमंडल एवं संकाय में विचार किया जावे।

7. स्नातकोत्तर में प्रत्येक सेमेस्टर में एवं वार्षिक परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अथवा पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्ध के लिए प्रश्नपत्रों के विकल्प के स्थान पर प्रश्नपत्र निर्धारित किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है, जिससे परिणाम निकालने में असुविधा से बचा जा सके।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव